निकाय चुनाव में भाजपा का घमंड छिन्न-भिन्न करेगी 36 कौम : टीकाराम जूली

आसमान छूती महंगाई, गड्ढाराज, टूटी सैकड़ों, कीचड़ से परेशान राजस्थान के शहर, स्मार्ट सिटी के नाम पर बस जुमलेबाजी

जयपुर (निसं)। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों और राजनीतिक अहंकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा देशभर के दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भाजपा की जातिगत छुआछूत और दमनकारी

■ 'भाजपा की जातिगत छुआछूत और दमनकारी मानसिकता को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है'

मानसिकता को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है। जूली ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की 36 कौम की जनता अब भाजपा के घमंड को पूरी तरह तोड़ने का मन बना चुकी है और आगामी निकाय चुनावों में करारा झटका देकर प्रदेश की राजनीति का पूर्ण शुद्धीकरण करेगी।निकाय चुनाव के विषय पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तरफ केवल गड्ढाराज , गन्दगी से अटे हुए रास्ते, स्मार्ट सिटी के नाम पर जुमले और आवारा पशुओं की विकराल समस्या का बोलबाला है, जिसने आम नागरिकों का जीना दूभर कर दिया है। सड़कों की बदहाली से लेकर बुनियादी सुविधाओं की तबाही तक, भाजपा सरकार के विकास के तमाम दावे पूरी तरह खोखले और फेल साबित हुए हैं। इसके साथ ही आसमान छूती महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़ दी है।

पेट्रोल-डीजल की बेलगाम कीमतें और रसोई गैस सिलेंडर के दाम आम परिवारों के बजट को तबाह कर चुके हैं। इन हालातों में इससे घबराकर भाजपा के भीतर उपेक्षा, असंतोष और भगदड़ का माहौल बन चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कुशासन, उपेक्षा और अहंकार से पीड़ित 36 कौम का हर नागरिक अब निकाय चुनावों में मतदान केंद्र पर पहुँचकर सबसे पहले पेट्रोल-डीजल के मीटर, रसोई गैस सिलेंडर, चीनी के डब्बे को प्रणाम करेगा और फिर भाजपा के घमंड को चूर करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में निर्णायक मतदान करेगा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में कांग्रेस पदाधिकारियों की चुनाव को लेकर बैठक हुई।

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की पालना क्यों नहीं: हाईकोर्ट

जयपुर,(निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाहर नगर स्थित सरस्वती बालिका वरिष्ठ, उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर स्कूल में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की पालना नहीं होने पर एसीएस एजुकेशन व स्कूल की प्रबंधन समिति सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश स्कूल कर्मचारी गजानंद शर्मा की याचिका पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि स्कूल की प्रबंध समिति का गठन अधिनियम की धारा 9 एवं नियम 23 के अनुसार नहीं किया है। प्रबंध समिति वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रही है। वहीं एक अनधिकृत संस्था की समिति की ओर से स्कूल की प्रबंध समिति के कार्य में दखल दिया जा रहा है। यह संस्था ही कथित तौर पर स्कूल के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा संबंधी

■ हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश स्कूल कर्मचारी गजानंद शर्मा की याचिका पर दिया

मामलों को नियंत्रित कर रही है। अदालत के पूर्व आदेश के पालन में प्रार्थी ने इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन 18 मई 2026 को उसका अभ्यावेदन उठाए गए बिन्दुओं का जवाब दिए बिना ही निस्तारित कर दिया। इसलिए राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 10 के तहत स्कूल को अधिग्रहित करें और उसमें प्रशासक की नियुक्ति हो। इसके साथ ही अनधिकृत संस्था व व्यक्तियों की ओर से स्कूल के संचालन में दखल देने पर भी रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

नीट-पीजी 2026 परीक्षा के लिए जयपुर में पुख्ता व्यवस्थाएं, 15 परीक्षा केन्द्रों पर होगी परीक्षा

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान) द्वारा आयोजित नीट-पीजी2026परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 (रविवार) को प्रातः 09:00 बजे से दोपहर12:30बजे तक जिले में15परीक्षा केन्द्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केन्द्रों पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, सुगम यातायात तथा परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ परीक्षा से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रत्येक केन्द्र पर स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर,नेटवर्क एवं परीक्षा सामग्री की अनधिकृत पहुंच-छेड़छाड़ से सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के लिए पेयजल की पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर द्वारा परीक्षा अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार चिकित्सा दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर में जाली नोटों के गिरोह के खुलासे के बाद पुलिस का अलर्ट

जयपुर(निसं)। शहर में जाली नोटों के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आमजन को नकली करेंसी को लेकर सतर्क किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी नोट के नकली होने का संदेह होने पर उसे बाजार में चलाने के बजाय बैंक में ले जाकर उसकी जांच कराएं।पुलिस के अनुसार नकली नोटों की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है। ऐसे में केवल पहली नजर में देखकर नोट को असली या नकली मान लेना उचित नहीं है। संदिग्ध नोट मिलने पर उसकी जांच कराना ही सुरक्षित विकल्प है।पुलिस ने कहा कि यदि कोई करेंसी नोट नकली जैसा प्रतीत होता है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति को देने या बाजार में चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नोट को बैंक में ले जाकर उसकी जांच कराई जा सकती है। इससे नकली नोट के आगे प्रसार को रोका जा सकेगा और अनजाने में कानूनी परेशानी में पड़ने की आशंका भी कम होगी। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध नोट की जांच के लिए अल्ट्रावॉयलेट (यूवी) लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नगर निगम चुनाव: टिकट घोषित होने से पहले ही कांग्रेस-भाजपा के दावेदारों ने नामांकन भरे

जयपुर(निसं)। नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न की घोषणा नहीं की है,लेकिन दोनों प्रमुख दलों से जुड़े दावेदारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। नामांकन के दूसरे दिन कांग्रेस से 34 और भाजपा से 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। दोनों दलों के कुल 46 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दूसरे दिन कुल 69 उम्मीदवारों ने 137 नामांकन पत्र दाखिल किए। इससे पहले नामांकन के पहले दिन 27 अगस्त को 11 प्रत्याशियों ने 13 नामांकन पत्र जमा कराए थे।

कांग्रेस में एक-एक वार्ड से कई दावेदार: कांग्रेस की ओर से 25 वार्डों से 34 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें वार्ड 11 और 47 से तीन-तीन दावेदारों ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। वहीं वार्ड 50,

■ नामांकन के दूसरे दिन कांग्रेस से 34 और भाजपा से 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

99,101,140 और 145 से दो-दो दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल करने वालों में वार्ड 1 से मनमोहन शर्मा, 3 से अनिल पारीक, 4 से कविता, 6 से निर्मला अग्रवाल, 10 से संजना देवी, 15 से मधुसूदन शर्मा, 19 से रियाजुद्दन मुगल, 25 से सोनिया सैनी, 31 से जय कुमार जैन, 39 से अजय सैनी, 51 से मनमोहन गुर्जर, 60 से रामलक्ष्मण मीणा, 65 से गुलाब सिंह, 67 से योगिता शर्मा, 78 से मुकेश चौहान, 86 से सीमा वर्मा, 128 से मोहम्मद शफीक और 146 से रोशन रज्जाक भाटी शामिल है। वार्ड 11 से हनुमान सहाय शर्मा, बृजकिशोर पाठक और पवन कुमार शर्मा ने नामांकन भरा। वार्ड 47 से विजय गुप्ता, दामोदर मीना और लक्ष्मीकांत शर्मा ने दावेदारी जताई। वार्ड 50 से अतुल और नत्थू सिंह, वार्ड 99 से हुसैन खान और विक्रम सिंह पंवार, वार्ड 101 से दुर्गेश कुमार शर्मा और विष्णु बियानी, वार्ड 140 से आशीष जोशी और भूपेंद्र कुमार मीना तथा वार्ड 145 से ज्योति और जहान्वी मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया।

सीकर रोड पर बदली यातायात व्यवस्था: भारी वाहनों के लिए रूट तय

जयपुर(निसं)। रक्षाबंधन के बाद लौटने वाले लोगों की आवाजाही और आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने सीकर रोड पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए रोड नंबर 14 चौराहा के पास विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि डायवर्जन 30 अगस्त को दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक और 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। भारी वाहनों के लिए ये रहेगा रूट- सीकर से जयपुर/दिल्ली/अजमेर: भारी वाहन मोरीजा मोड़ कट, चौमूं से जाटावाली कट (पुलिया) होकर आगे जा सकेंगे।

दिल्ली/जयपुर/अजमेर से सीकर: भारी वाहनों को जाटावाली कट (पुलिया) से मोरीजा, चौमूं होते हुए सीकर की ओर भेजा जाएगा। लोहा मंडी से रोड नंबर 14: लोहा मंडी कट से रोड नंबर 14 चौराहे की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हल्के वाहनों को लोहा मंडी रोड से नींदड़ मोड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

वीकेआईए में भारी वाहनों की एंट्री बंद: विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 12 से रोड नंबर 14 के बीच भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

देशी पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, हथियार सप्लायर भी पकड़ा

जोबनेर थाना पुलिस ने देशी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर हथियार सप्लाई करने वाले अन्य युवक को भी गिरफ्त मे लिया।

जयपुर(निसं)। जयपुर ग्रामीण जिले की जोबनेर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए देशी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि जोबनेर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान नावां रोड पर एक युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपनी पहचान विनोद कुमार उर्फ शेरा (20) निवासी मूंडवाड़ा, थाना फुलेरा के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध देशी पिस्टल बरामद हुई।

पुलिस पूछताछ में विनोद ने बताया कि पिस्टल उसे विकास कुमार (18) निवासी प्रेमपुरा थाना रेनवाल से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने प्रेमपुरा में दबिश देकर विकास कुमार को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों से हथियार की खरीद-फरोख्त और नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में एएसआई बाबूलाल, एएसआई रमेशचंद, हेड कांस्टेबल छीतरमल तथा कांस्टेबल मोटाराम, राजेन्द्र कुमार और रविन्द्र सिंह शामिल रहे।

नामचीन बिल्डर के साथ उसी के कर्मचारियों ने ठगी की

कर्मचारियों ने सेंकड पार्टीज के नाम रजिस्ट्रियां करा दी और फ्लैट बिक्री से मिला पैसा खुद हड़प गए

जयपुर(निसं)। आपने प्लाट, मकान, दुकान बेचने वाले और बिल्डरों से परेशान लोग तो देखे होंगे लेकिन जयपुर में एक ऐसा मामला आया है जिसमें फ्लैट खरीदने वालों ने बिल्डर के कर्मचारियों से सेटिंग करके नामचीन बिल्डर को ही ठग लिया। उसे लगभग बर्बाद कर दिया। जेल तक जाना पड़ गया। करीब 13 करोड रुपए का फ़टका लगा दिया। मामला जयपुर की एक नामचीन फर्म का है। मालिक को अपने नौकर-कर्मचारियों पर आंख मूंदकर विश्वास करना भारी पड़ गया। कर्मचारियों ने उसे बुरी तरफ फंसा दिया। इस फर्म ने मुहाना मंडी जयपुर के पास 200 फ्लैट का प्रोजेक्ट बनाया था। फर्म में सेल्स और बैक ऑफिस का काम देखने वाले कर्मचारियों ने फ्लैट बेचने के लिए एग्रीमेंट किसी और के साथ किए और सेल किसी और को करके बिल्डर को फंसा दिया। बिल्डर अपने कर्मचारियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर बैठा और रजिस्ट्रियां कराता गया। इस खेल में

■ इस मामले में बिल्डर को करीब 13 करोड रुपए का फ़टका लगा

बिल्डर का खास नौकर, कैशियर और सेल्स वाले शामिल थे। सबने मिलकर फंसा दिया। जिनसे एडवांस लेकर फ्लैट बुकिंग की गई थी, फ्लैट उनको ना देकर कर्मचारियों ने दूसरे लोगों के नाम रजिस्ट्री करवा दी। सब कुछ इतनी सफाई से किया कि बिल्डर को कर्मचारियों पर शक ही नहीं हुआ। जब फ्लैट के एग्रीमेंट किसी और के नाम और रजिस्ट्री किसी और के नाम बोलने लगी तो मामला चर्चा में आ गया। एग्रीमेंट करने वालों ने एक एक कर बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया। मालिक होने और रजिस्ट्री पर फोटो व साइन के चक्कर में बिल्डर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट ने जेल भेज दिया। जेल से छूट कर आया जो उसने खाते खंगाले, ऑडिट कराई, तो पता चला कि जिन लोगों को फ्लैट की रजिस्ट्री कराई, उन्होंने कोई रकम उसके खातों में डाली ही नहीं। कर्मचारियों ने सेंकड पार्टीज के नाम रजिस्ट्रियां करा दी और फ्लैट बिक्री से मिला पैसा खद हड़प गए। पांच- दस हजार की नौकरी करने वाले उसके कर्मचारी आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बेचारा बिल्डर एग्रीमेंट वालों के आरोपों के चक्कर मेंकानून की मार भुगत रहा है। जिनका पेमेंट वास्तव में आया था, उनको प्रोपर्टी बेचकर पैसा लौटा रहा है। जिन लोगों को उसके कर्मचारियों ने मिलीभगत कर फ्लैट्स की रजिस्ट्री करा दी, उनको अब उसने सबक सिखाने की ठान ली है। बिना पेमेंट आए फर्जी तरीके से रकम दिखाकर कराई गई रजिस्ट्रियां कैंसल कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इतना ही नहीं उसने एक एक कर अपने कर्मचारी और उनके साथ मिलीभगत वाले 26 फ्लैट खरीददारों के बारे में जानकारी कर उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बोनी बिल्ड टेक के मालिक अजय सिंह ने बताया कि वह बिल्डर, वेल्यूअर, एस्टीमेटर और आर्किटैक्ट है। उसने वर्ष 2014 में मानसरोवर क्षेत्र में मुहाना मंडी के सामने मदारामपुरा में 200 फ्लैट्स का एक प्रोजेक्ट जेडीए से नक्शा पास कराकर निर्माण किया था। रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर उसका सेल्स ऑफिस था। पर्सनल नौकर नरसी के पास चेक बुक, कैश, चाबियां और अन्य सभी सामान रहता था। नरसी पर विश्वास करता था, लेकिन नरसी ऑफिस में सेल्स और अन्य काम देखने वाले धीरज, कपिल, अकाउंटेंट जयपाल सिंह ओर एक अन्य कर्मचारी आपस में गिरोह बनकर कुछ अन्य लोगों को साथ मिला लिया।

रोम में आईएफएडी अध्यक्ष से मिले मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास

जयपुर,(निसं)। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रोम स्थित इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी) मुख्यालय में आईएफएडी के अध्यक्ष डॉ. अल्वारो लारियो से द्विपक्षीय बैठक की।

बैठक में राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण

■ बैठक में मुख्य रूप से सूखा प्रबंधन, फसल पद्धित, डेयरी विकास, कमांड एरिया विकास और जलागम विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई

विषयों पर चर्चा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सूखा प्रबंधन, फसल पद्धित, डेयरी विकास, कमांड एरिया विकास और जलागम विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूखे के प्रभाव को कम करने और कृषि क्षेत्र को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत बनाने के लिए फसल पद्धित से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विचार साझा किए गए। इसके अलावा प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने, सिंचाई से जुड़े कमांड एरिया के बेहतर विकास तथा जलागम विकास के माध्यम से जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में रहे।बैठक के दौरान इन क्षेत्रों में आईएफएडी और राजस्थान के बीच भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े इन विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान को मिलने की संभावनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में राजस्थान में कृषि-विकास पर सहयोग की संभावनाओं पर मंथन हुआ।

तीन हजार किलोमीटर पीछा कर अपहरणकर्ता को दबोचा

जयपुर(निसं)। मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए के इनामी अपहरणकर्ता को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बिहार से अपहृत नाबालिग को भी सकुशल दस्तयाब कर लिया। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम ने पांच दिनों में करीब 3 हजार किलोमीटर का सफर तय कर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में पीछा किया। मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से भी जुड़ा हुआ था। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि परिवादिया की शिकायत पर 15 मई 2026 को उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला मुहाना थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित यादव को गिरफ्तार कर नाबालिग को पटना, बिहार से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया था।

इसके बाद रोहित यादव ने इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग से दोबारा संपर्क किया। उसे डराने-धमकाने के बाद 19 जून को फिर से अपहरण कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते

■ राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लंबित होने के कारण आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था

हुए और राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लंबित होने के कारण आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद मुहाना थानाधिकारी मुकेश कुमार खरडिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। जहां पुलिस की। विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम लगातार पांच दिनों तक विभिन्न राज्यों में आरोपी का पीछा करती रही। करीब 3 हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पुलिस ने आरोपी रोहित राय उर्फ रोहित यादव (20) पुत्र जनार्दन राय, निवासी ग्राम डोगाहा, थाना दरियापुर, जिला सारण, बिहार को छत्तीसगढ़ में डिटेन किया।

आम सूचना दि. 29/08/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय योजना पार्क व्यू कॉलोनी, एनवीसी के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर में प्लाट नम्बर 25 के असल दस्तावेजो पर ऋण प्राप्त कर महेश कुमार पाराशर द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में रहन किये गये थे। महेश कुमार पाराशर का निधन दिनांक 23.02.2026 को हो गया जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी वारिसान मे उनकी पत्नी कान्ता देवी, माता श्रीमती गीता, पुत्र नीरज कुमार पाराशर एवं नवीन पाराशर ही एक मात्र कानूनी वारिसान बताये गये है तथा उक्त सभी ने उपरोक्त सम्पत्ति के दस्तावेजो को श्रीमती कान्ता देवी को दिये जाने के सन्दर्भ में अपनी सहमति दे दी है इसलिये उपरोक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेज श्रीमती कान्ता देवी को दिया जाना है यदि इसमें किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था अथवा बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास लिखित में मय सबूत सम्पर्क करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। सूचित रहे।

सतीश चन्द्र गुप्ता (एडवोकेट) मो. 9414056003

नाम परिवर्तन

मै आर्मी नं. JC-380979F रैंक SUB MAJ वैद्य श्रीधर शंकरजी निवासी-ग्राम-पांढराबोडी, पोस्ट-हरदोली, जिला-भंडारा, महाराष्ट्र ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी पुत्री का नाम सुप्रिया से बदलकर सुप्रिया श्रीधर वैद्य कर दिया है भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जावे

मै आर्मी नं.- JC-380979F रैंक SUB MAJ वैद्य श्रीधर शंकरजी निवासी ग्राम-पांढराबोडी, पोस्ट-हरदोली, जिला-भंडारा, महाराष्ट्र ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने पुत्र का नाम समीर श्रीधर वैद्य से बदलकर समीर वैद्य कर दिया है भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जावे

मैं अन्नपूर्णा अडावतिया, श्री संजय आत्रेय की पत्नी, जो 3C-407 चित्रकूट जयपुरमें रहती हूँ, शादी के बाद मेरा नाम अन्नपूर्णा आत्रेय हो गया है। कृप्या भविष्य में मुझे अन्नपूर्णा आत्रेय के रूप में जाना जायें।

मैनें अपना नाम पठान शाहना खातून सलीम से बदल कर शाहना खातून पत्नी मोहसिन खान अगवान निवासी 3536, अहिरों की ईमली, लुहारों का खुर्रा, घाटगेट जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे शाहना खातून (SHAHANA KHATOON) के नाम से जाना पहचाना जावें।

मै रोहिणी कुमावत (Rohini Kumawat) पुत्री रमेश चंद्र कुमावत आयु 43 वर्ष, मेरी अंकतालिकाओं में भी यही नाम अंकित है। मैंने मेरा नाम रोहिणी (Rohini) पत्नी प्रकाश चन्द कुमावत निवासी 1-सी-155 गुर्जर बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पढ़ा, लिखा, समझा जावे।

I have changed my Name from MOHD HARIS KHAN to MOHAMMED HARIS KHAN for all future purposes. MOHAMMED HARIS KHAN R/O 1352-BALA JI KI KOTHI KA RASTA CHOKDI TOPKHANA HUZURI JAIPUR RAJASTHAN

I have changed my name from Archana Sahai to Archana Ajay w/o Ajay Saran Sahai for all future purpose R/o plot No - 35/135, Pukhraj path, Mansarovar, Jaipur 302020

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम
प्रताप नगर, जयपुर दिनांक: 25.06.2026
क्रमांक:- 1583 **जाहिर आम-सूचना**

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 71/327 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन **श्री योगेश कुमार भार्गव पुत्र श्री बनवारी लाल भार्गव** को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2568 दिनांक 21.04.1994 को जारी किया गया। **श्री योगेश कुमार भार्गव** द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 12.10.2006 को उप पंजीयक-सांगानेर- प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। **श्री योगेश कुमार भार्गव** द्वारा उक्त आवास को दिनांक 30.10.2006 के द्वारा श्रीमती कंचन देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। **श्रीमती कंचन देवी** द्वारा उक्त आवास को दिनांक 03.07.2020 के द्वारा श्री सोमदत्त मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री सोमदत्त मीणा के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 10488 दिनांक 05-10-2023 द्वारा नाम दर्ज किया गया। **श्री सोमदत्त मीणा** द्वारा उक्त आवास को दिनांक 18.05.2026 के द्वारा 1. श्री रोशन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा एवं 2. श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी श्री रोशन शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-नवम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती 1. श्री रोशन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा एवं 2.श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी श्री रोशन शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, 1. श्री रोशन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा एवं 2. श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी श्री रोशन शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबंधक वृत्त- प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

खोया पाया

SBI क्रेडिट कार्ड कलेक्शन के लिए साँवर लाल चौधरी के नाम से जारी किया गया आईडी-कार्ड नंबर 1639023, मालवीय नगर, जयपुर में कहीं गिर गया है। मिलने पर कृपया सूचित करें- 9680898684

SBI क्रेडिट कार्ड कलेक्शन के लिए दिनेश राम के नाम से जारी किया गया आईडी-कार्ड नंबर 1766233, मालवीय नगर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें-8505006693

मैं सुनिल सिंह S/o छितर सिंह निवासी- 9 सीता विहार विस्तार बैनाड़ रोड जयपुर हु की मेरे गन का लाइसेंस की फोटोस्टेट के लिए कॉलोनी में गया था रास्ते में कही गुम हो गया था । लाइसेंस नंबर 31/DM/DODA है किसी को मिले तो सूचित करे संपर्क 8118834471

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
आम सूचना रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
क्रमांक:F-JDA/Zone 09/2026/D-731

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 235085 दिनांक 23/07/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	SHIPRA YADAV W/o SHANT ANU LAMORIA	मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्रा. लि. अधिकृत अधिकारी श्री कपिल रायसिंघानी	22	153.81 SQ. YARD	Private	Mahima City Vila	Name Transfer	Sale deed

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नही करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर

मालवीय अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
प्रधान कार्यालयः ऐ-48 सुदर्शनपुरा ऐनक्लेव, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर 302001
एम.यू.सी.बी./41/08/2026-27 दिनांक 26.08.2026

अधिसूचना

बैंक के समस्त सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैंक की सत्ताइसवीं वार्षिक साधारण सभा (प्रतिनिधि सभा) वर्ष 2025-2026 की बैठक दिनांक 16.09.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे, बैंक के प्रधान कार्यालय, ऐ-48 सुदर्शनपुरा ऐनक्लेव, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर पर होगी। जिसमें निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

विचारणीय विषय निम्न हैः-
1. बैंक की गत सामान्य सभा (प्रतिनिधि सभा) की बैठक दिनांक 19.09.2026 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. बैंक के निदेशक मण्डल के सत्ताईसवें वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकार करना।
3. बैंक के 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के अंकेक्षित संतुलन चित्र एवं लाभ हानि खाते की स्वीकृती प्रदान करना।
4. बैंक की वर्ष 2025-2026 की ऑडिट रिपोर्ट ए